तारीख हुक्म	
12-11-24	पेशी पत्रावली पेश हुई। ... आदेश ... अधिकारी ... हैं। ... कार्य में ... है ... हेतु ... पेश हो। सुनी अपेक्षित 26-11-24 (हस्ताक्षर)
26-11-24	पत्रावली आज निर्णय सुनाने जाने हेतु पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाडपुरा (कुम्भी)

...लिय ... संख्या 40/20.. दिनांक 03.07.2023 अंकित मारद्वाज पुत्र जाति...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला—बून्दी(राज0)

पत्र संख्या 40/2023 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 03.07.2023 — श्रीमती मायना सिंह(RAS)

बउनवान

अंकित भारद्वाज पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी बडी महूकला गंगापुर सिटी, राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र हरजी जाति रेबारी निवासी ग्राम डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ़, राजस्थान।
2. मेवाबाई पत्नी विनोद कुमार रेबारी जाति रेबारी निवासी माल की झोपडिया लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़, राजस्थान।
3. पप्पु पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम छप्पनपुरा तहसील इन्द्रगढ़, राजस्थान।
4. राकेश पुत्र बाला जाति रेबारी निवासी ग्राम डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ़, राजस्थान।
5. बाबूलाल पुत्र मोडू जाति गुर्जर निवासी डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ़, राजस्थान।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
7. ग्राम पंचायत उतराना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
8. सचिव ग्राम पंचायत उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

— अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र कृषि भूमि पत्थरगढ़ी बाबत्
अन्तर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

अधिवक्ताः— 1. श्री अब्दुल सत्तार (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. अप्रार्थिगण 1 लगायत 8— अनुपस्थित

दिनांकः— 26.11.2024

निर्णय

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या नई 292 पुरानी 15 खसरा संख्या 926 रकबा 2.43हैक्टर, खसरा संख्या 993/2 रकबा 0.32हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.75हैक्टर वाके ग्राम डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी विस्थित है। जिसका खातेदार प्राथी है एवं काबिज होकर काश्तकारी करता आ रहा है। उक्त कृषि भूमि के पूर्वी ओर खसरा संख्या 925 है जिस पर किशनलाल पुत्र हरजी काबिज है पश्चिम की ओर खसरा संख्या 1025/1011 की खातेदार मेवा बाई काबिज है उत्तर में खसरा संख्या 1022/922 है जो राजस्व सिचायचक कृषिभूमि है जिस पर अवैध अतिक्रमी पप्पू काबिज है दक्षिण में खसरा संख्या 933/1 राजस्व सिवायचक कृषिभूमि है जिस पर अतिक्रमी राकेश काबिज है इसी प्रकार खसरा संख्या 993/2 के पूर्वी और खसरा संख्या 993/1 राजस्व सिवायचक कृषिभूमि है जिस पर अज्ञात अतिक्रमी काबिज है पश्चिम और खसरा संख्या 993/1 राजस्व सिवायचक कृषिभूमि है जिस पर राकेश काबिज है पश्चिमी और ही खसरा संख्या 998 व 996 राजस्व सिवायचक कृषिभूमि है जिस पर बाबूलाल पुत्र मोडू काबिज है उत्तरी और खसरा संख्या 993/1 राजस्व सिवायचक कृषिभूमि है जिस पर अतिक्रमी राकेश काबिज है दक्षीणी और 993/1 व 998 राजस्व सिवायचक कृषिभूमि हे जिस पर बाबूलाल पुत्र मोडू व बनवारी काबिज है प्रार्थी की कुछ भूमि पर अप्रार्थिगण ने अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा है जिससे प्रार्थी की भूमि सिकुड़ गयी है जितनी भूमि प्रार्थी के खाते पर है

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

भूमि मौके पर नहीं है। प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के पडौसी काश्तकार प्रार्थी के खसरा संख्या की भूमि पर अतिक्रमण कर सीमाओं को मिटाना चाहते है इस संदर्भ में प्रार्थी ने दिनांक 21.05.2023 को सीमाज्ञान भी करवाया था परन्तु उसके उपरांत भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 प्रार्थी की कृषिभूमि को दबाना चाहते है। प्रार्थी ने उक्त अप्रार्थिगण को अपनी जमीन नही दबाने बाबत् कहा तो उक्त अप्रार्थिगण लडाई–झगडा करने पर आमादा है। प्रार्थी अपनी कृषिभूमि के सीमांकन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न न हो तथा प्रार्थिगण के कब्जेकाश्त की कृषिभूमि का रकबा भी सुरक्षित रहे इस कारण से प्रार्थी अपने कब्जेकाश्त की कृषिभूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अन्त में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवायी जाने हेतु तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थिगण 1 लगायत 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर उनका जवाब बंद कर पत्रावली पर प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली में उपस्थित राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कृषि भूमि खाता संख्या नई 292 पुरानी 15 खसरा संख्या 926 रकबा 2.43हैक्टर, खसरा संख्या 993/2 रकबा 0.32हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.75हैक्टर वाके ग्राम डांगाहेडी पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी प्रार्थी अंकित भारद्वाज पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण सा0 महूकला तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि का दिनांक 21.05.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषिभूमि है। प्रत्येक खातेदार को यह अधिकार प्राप्त है वह अपनी हक अधिकार की कृषि भूमि का सीमांकन करवाकर शांति पूर्वक कब्जा काश्त करें। उभयपक्षों के मध्य विवाद के मध्यनजर हमारे मतानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खाता संख्या नई 292 पुरानी 15 खसरा संख्या 926 रकबा 2.43हैक्टर, खसरा संख्या 993/2 रकबा 0.32हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.75हैक्टर वाके ग्राम डांगाहेडी पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी का फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार नियमतः नपती कर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाकर पत्थरगढ़ी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26 .11.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)